फा.सं.जेड-14014/1/2019-जीसी (ई-9315)

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन,

नई दिल्ली-110011

दिनांक: 01.01.2020

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: नवंबर, 2019 के दौरान भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्य कलापों का मासिकसार।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर मंत्रिमंडल सचिवालय से प्राप्त दिनांक 17.08.2018 एवं 11.10.2018 के पत्रांक 1/26/1/2018-कैब. का उल्लेख करने और नवंबर, 2019 के लिए भूमि संसाधन विभाग के मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति इस पत्र के साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

अनुलग्नकः यथोक्त।

अर्जुन राणा

(अर्जुन राणा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23044653

सेवामें,

मंत्रीपरिषद के सभी सदस्य।

प्रतिलिपिप्रेषितः-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली -110004
2. भारत के उप-राष्ट्रपति के सचिव, नं. 5, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली -110011
3. भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली -110011
4. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
5. सभी सचिव, भारत सरकार।
6. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
7. तकनीकी निदेशक(एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. माननीय ग्रामीण विकास मंत्री के निजी सचिव
2. माननीया ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के निजी सचिव।

https://dolr.eoffice.gov.in/eFile/?x=I9v2sSv6tnJK1b7w4ASPdWed

नवंबर, 2019 के दौरान भूमि संसाधन विभाग द्वारा किए गए मुख्य कार्यकलापों और लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का मासिक सार

भूमि संसाधन विभाग ने 04.11.2019 को राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) के सहयोग से भारत का बंजरभूमि एटलस - 2019 का पांचवां संस्करण जारी किया। भारत का बंजरभूमि एटलस-2019 जम्मू और कश्मीर के अब तक मानचित्रित नहीं किए गए क्षेत्र सहित लगभग 12.08 मिलियन हेक्टेयर के मानचित्रण को शामिल करने वाली बंजरभूमि क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों का जिला-वार और राज्य-वार वितरण प्रदान करता है।

2. मंत्रियों के समूह ने 04.11.2019 को आयोजित अपनी बैठक में 'रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक 2013 में शासकीय संशोधनों पर' दिनांक 17.07.2019 के विभाग के मंत्रिमंडल नोट में निहित प्रस्ताव पर विचार किया और विशेषकर वैकल्पिक ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्रस्तावित उपबंधों पर हितधारकों के साथ और अधिक परामर्श करने का सुझाव दिया। इसके बाद 22.11.2019 को आयोजित अपनी बैठक में कुछ राज्यों के रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षकों तथा विधि और न्याय मंत्रालय तथा ईलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ मामले पर आगे और विचार-विमर्श किया गया।

3. नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए मसौदा मॉडल कृषि भूमि अधिनियम 2016 की जांच करने के लिए माननीय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गठित मंत्रियों के समूह की बैठक 04.11.2019 को आयोजित की गई थी जिसमें प्रोत्साहक भूमि पट्टे की आवश्यकता, व्यावहारिकता और वांछनीयता को देखते हुए भावी नीति की सिफारिश की गई।

4. डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए 13 राज्यों अर्थात असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र,ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड के साथ 13.11.2109 को वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी।

5. विश्व बैंक ने "रेजुवेनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चर रेजिलिएन्स थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट" (आरईडबल्यूएआरडी) परियोजना के लिए 21 नवंबर, 2019 से आगे कर्नाटक, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के भावी राज्यों के साथ राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के विस्तृत विचार-विमर्श हेतु पहला तैयारी मिशन शुरू किया। विश्व बैंक टीम और भूमि संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में अनुवर्ती विचार-विमर्श किया गया।

6. डीआईएलआरएमपी द्वारा अग्रिम निधि जारी करने के स्थान पर प्रतिपूर्ति आधार पर करने की बदली गई वित्त पोषण पद्धति को 31 मार्च, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाया गया है। संशोधित मार्गदशी सिद्धांतों में कुछ मौजूदा घटकों को भी शामिल नहीं किया गया था। स्कीम में कुछ घटकों को पुनः शुरू करने और वित्तपोषण पद्धति को अग्रिम आधार पर करने के लिए एक ईएफ़सी प्रस्ताव अगस्त, 2019 को संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परिचालित किया गया है। विभाग में वित्त मंत्रालय से उनके दिनांक 27.08.2019 के कार्यालय-ज्ञापन सं. 09(/04)/पीएफ़-II/2008 (खंड.II) के तहत प्राप्त उनकी टिप्पणियों/उत्तर की जांच की गई और वित्त मंत्रालय को इस विभाग के दिनांक 04.09.2019 के अर्ध-शासकीय पत्र सं 18014/02/2014-एलआरडी (पार्ट.) द्वारा इस प्रस्ताव पर

पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है।...